अध्याय-I
परिचय

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन की दक्षता की निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 1 परिचय

1.1 74वां संवैधानिक संशोधन

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992, जो 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ, नगरपालिकाओं से संबंधित संविधान के भाग IX-क को प्रस्तुत करता है। इस अधिनियम में शहरी स्थानीय निकायों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243-ब ने राज्य विधायिकाओं को स्थानीय निकायों को शक्तियां व प्राधिकार प्रदान करने हेतु ऐसे कानून बनाने के लिए अधिकृत किया, जो उन्हें स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने तथा शक्तियों व जिम्मेदारियों के हस्तांतरण हेतु प्रावधान करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। संविधान की बारहवीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे जाने वाले 18 निर्दिष्ट कार्यों का विश्लेषण करती है जो **तालिका 4.1** में सूचीबद्ध है।

1.2 हिमाचल प्रदेश में शहरीकरण की प्रवृत्ति

2011 की जनगणना के अनुसार 68.65 लाख की कुल जनसंख्या में से लगभग 6.89 लाख शहरी क्षेत्रों में रहते हैं जो कुल जनसंख्या का 10.03 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का अनुपात 2001 में 9.80 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 10.03 प्रतिशत हो गया था। 2001-2011 व 2011-2020[1] के दशकों में शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर क्रमशः 15.61 प्रतिशत व 9.92 प्रतिशत थी। शहरी हिमाचल प्रदेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे, गरीबी उन्मूलन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी आदि शामिल हैं। इस परिदृश्य में, शहरी स्थानीय निकायों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इनमें से अधिकांश मुद्दों को स्थानीय स्तर पर अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है।

[1] आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश के अनुसार 2020 में अनुमानित जनसँख्या।

1.3 हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या, भौगोलिक विशेषताओं, आर्थिक स्थिति, स्थानीय राजस्व सृजन तथा उनके क्षेत्राधिकार में रोजगार के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। शहरी स्थानीय निकाय 54 हैं जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1: हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं के गठन हेतु मापदंड

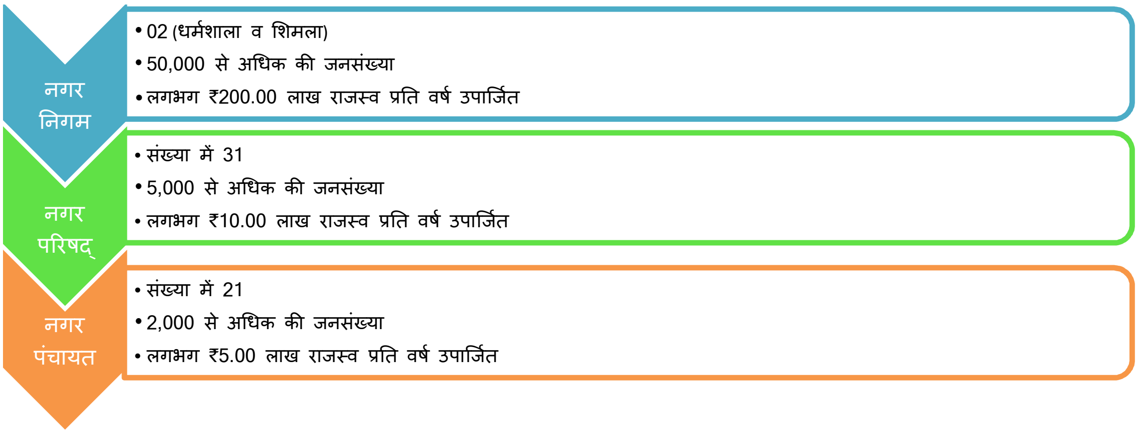

स्रोत: शहरी विकास विभाग की वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट 2018-19, संबंधित अधिनियमों की धारा 03

नगर निगम हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 द्वारा शासित होते हैं तथा अन्य शहरी स्थानीय निकाय हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 द्वारा शासित होते हैं। प्रत्येक निगम/नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया गया है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पार्षदों के चुनाव के उद्देश्य से निर्धारित और अधिसूचित किया जाता है। सभी शहरी स्थानीय निकायों में पार्षदों से बना निर्वाचित निकाय होता है।

1.4 हिमाचल प्रदेश में शहरी शासन की संगठनात्मक संरचना

शहरी विकास विभाग, जो सभी शहरी स्थानीय निकाय के शासन के लिए नोडल विभाग है, सरकार के सचिव की अगुवाई में कार्य करता है। वर्ष 1985-86 में स्थापित किया गया शहरी विकास विभाग निदेशालय राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकाय के मध्य एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम/हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, शहरी विकास विभाग का निदेशक शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्तों/कार्यकारी अधिकारियों/ सचिवों की सीधी रिपोर्टिंग के माध्यम से इन शहरी

स्थानीय निकाय की निगरानी करता है। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति के सम्बन्ध में संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाई गई है।

शहरी स्थानीय निकाय के अतिरिक्त शहरी विकास विभाग में 'पैरास्टेटल' एजेंसियां हैं जो विभाग के नियंत्रण में शहर को बुनियादी ढांचा तथा सेवाएं प्रदान करते है जैसे कि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड तथा स्मार्ट सिटी (शिमला व धर्मशाला)। अन्य पैरास्टेटल एजेंसियां जैसे हिमाचल प्रदेश आवासीय एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा), तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम क्रमशः आवास व उद्योग विभागों के तहत शहरी सेवाएं प्रदान करते हैं। पैरास्टेटल्स तथा उनके कार्यों का विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।